सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

वैशाख 22, गुरूवार, शाके 1944-मई 12, 2022

Vaisakha 22, Thursday , Saka 1944- May 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय-आदेश

जयपुर, फरवरी 25, 2022

एस.ओ.20 :-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कर्मचारी सेवा विनियम 1965 के अध्याय-3, नियम 8 में प्रथम नियुक्ति के समय मेड़िकल बोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निगम मण्ड़ल की प्रत्याशा में आदेश क्रमांक 155 दिनांक 03.07.2020 जारी किया गया। जिसका निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 53/2020 दिनांक 10.11.2020 के द्वारा अनुमोदन किया गया एवं जिस पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प 14(4)/परि/2021 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कर्मचारी सेवा विनियम 1965 के Chapter III General Conditions of Serviceके नियम 8 मे प्रथम नियुक्ति के समय मेड़िकल बोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक 155 दिनांक 03.07.2020 द्वारा जारी निम्न संशोधन को प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

8. No person may be appointed to a post in the Corporation without a certificate in the approved proforma from the Medical Board of Hospitals approvedby the CorporationThis certificate must be produced on first apppointment at the time of joining duty and the original copy be kept in the personal file of the employee.
Proforma- Enclosed

[संख्या एफ-391/मुख्या./कार्मिक/प्रसु/2022/421]

संदीप वर्मा,

प्रबन्ध निदेशक।

Government Central Press, Jaipur.